

(13)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

जिनेस ठिह बनाम अजो-5 अलवर
मा. प्र. अ. अ. 21.186/2021 सन्

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>29.07.2021 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 31.08.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 310 रकबा 0.06, 344 रकबा 0.22, 584 रकबा 0.32 हैक्ट0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/ रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 31.08.2021 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 31.08.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ अलवर</p> <p>31/8/21 वादी के महील/ककलाय उपस्थित/प्रीवार्सन अधिकारी जिनेस ठिह पेश किया नकास दिलाई गई। वास्ते 31.08.2021 को पेश हो। दिनांक 31/8/21 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

29.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
.....में है।
पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।
27.12.23
रक्ष
रीफ्ट

27.12.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... V.R.Sy.....
.....में है।
पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।
03.1.24
रक्ष
रीफ्ट

3/1/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील धर्म
अनुपस्थित। वकील व उनके धर्म को
आपस में 5:00 बजे तक
दिनांक 3/1/24 को आपस में
इसके बाद वकील व धर्म अनुपस्थित।
का: धर्म - 212 RTA वकील
व उनके धर्म को अदन धर्म -
अदन धर्म में स्वीकार किया जाना है।
पत्रावली प्रेषण हुआ है व
के अदन धर्म को बाद तारीख तक
धर्म वदन के अदन धर्म है।

अखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज